संख्या-04/2023/224/क.नि.प्र./26-3-2023-18(65)/98

प्रेषक,

सुभाष राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 16 मार्च,2023
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के अधिष्ठान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-06/2022/534/क.नि.प्र./26-3-2022-18(65)/98 दिनांक 18 जुलाई,2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793- अनूसूचित जाति की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद-49-चिकित्सा व्यय" में रू0 1,50,000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून,2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) जिस मद में धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण के लेखा शीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनूसूचित जाति की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान-49-चिकित्सा व्यय के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक की मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष के अन्तर्गत होने वाली बचतों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

सुभाष राम
अनु सचिव।

<u>संख्या-04/2023/ 224(1)/क.नि.प्र./26-3-2023 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0,प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- अनुभाग अधिकारी (लेखा), समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- वित्त(वित्त नियंन्त्रण) अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)

7- एन.आई.सी. की प्रति/बेव अधिकारी,समाज कल्याण विभाग।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुभाष राम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र–बी०एम०–9(पार्ट–1)
पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ– बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या– व नाम–080 व समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2022–23 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–793– अनूसूचित जाति की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता– 04–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान–52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2.00	2.00	1.50	1.50	0.50
योग	2.00	2.00	2.00		0.50

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+10)
7	8	9	10	11	12
"2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–793– अनूसूचित जाति की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता– 04–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान–49–चिकित्सा व्यय"	0.50	2.00	1.50	1.50	2.00
योग	0.50	2.00	1.50		2.00

1.स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मद में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

संख्या–आर०ई०– /दस-2023 दि० ...2023 दि. 15-03-2023

2.स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–
गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद मद में उपलब्ध धनराशि वास्तविक आवश्यकता से कम होने के कारण।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(सुभाष राम)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

Signed by
Date: 14-03-2023 ...:05:00
Reason: Approved

अनु सचिव,
वित्त विभाग।

File No. 25-07/089/341/2019-07-

1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– (1)/क0नि0प्र0/26–3–2023 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0प्रयागराज।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– आहरण एवं वितरण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अनुभाग अधिकारी (लेखा), समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– वित्त(वित्त नियंत्रण) अनुभाग–4 उ0प्र0 शासन।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
7– बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
8– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर।

आज्ञा से,

(सुभाष राम)
अनु सचिव।

File No.26-07099/341/2019- -07-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।